

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीहोर

क्रमांक 128 / सी.एम.भ्रमण / 15

सीहोर, दिनांक 01 / 09 / 15

- आदेश -

माननीय मुख्यमंत्री म.प्र.शासन के जिले में भ्रमण के दौरान स्थानीय कार्यक्रमों के आयोजन एवं अन्य आवश्यक तैयारियों के संबंध में निम्नांकित कार्य एवं जिम्मेदारी सम्मुख अंकित विभागीय अधिकारियों को मानक रूप से सौंपी जाती है :-

क्र.	गतिविधि	जिम्मेदार अधि. / विभाग
1.	2.	3.
1.	(1) हेलीपेड पर सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें । (2) स्वागत हेतु उपस्थित जनसमुदाय को व्यस्थित एवं सही स्थान पर रोके रखना । (3) व्ही.आई.पी.का सम्पूर्ण रूट प्लान एवं ट्रेफिक व्यवस्था (4) सुरक्षा वाहन एवं सुरक्षा प्रभारियों की व्यवस्था । (5) कार्यक्रम स्थल पर व्ही.आई.पी. के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था । (6) स्टेज एवं डी की समुचित सुरक्षा व्यवस्था । (7) स्टेज पर आमंत्रित एवं पूर्व निर्धारित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाना । (8) व्ही.आई.पी. द्वारा स्टेज से उतर कर जनता के बीच में जाने पर उनकी समुचित एस्काटिंग । (9) वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था । (10) आकस्मिक आपदा की स्थिति हेतु पूर्व से व्ही.आई.पी. एवं सामान्य जन के पृथक पृथक निकासी की समुचित व्यवस्था का प्लान करना । (11) प्रोटोकाल एवं सुरक्षा संबंधी समुचित कार्यवाही ।	पुलिस अधीक्षक
2.	(1) हेलीपेड निर्माण । (2) को-आर्डिनेट्स भेजे जाना । (3) हेलीपेड पर सुरक्षा हेतु बेरिकेट्स । (4) व्ही.आई.पी. टायलेट । (5) हेलीपेड पर टेंट, माईक एवं आवश्यक बैठक व्यवस्था । (6) कार्यक्रम स्थल पर मजबूत मंच बनाया जाना अथवा बनवाया जाना, तथा सुरक्षा का प्रमाण-पत्र देना । (7) कार्यक्रम स्थल का ले-आउट बनाना तथा संबंधित एजेंसी के साथ समन्वय । (8) मंच के पार्श्व में व्ही.आई.पी. विश्राम कक्ष/ग्रीन रूम का निर्माण कराया जाना । (9) माईक की टेस्टिंग एवं परीक्षण कर सही होने का प्रमाण-पत्र देना ।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग

3.	<p>(1) हेलीपेड हेतु स्थल चयन । (2) हेलीपेड पर विभागीय समन्वय के साथ सम्पूर्ण तैयारियाँ सुनिश्चित कराना । (3) वाहन व्यवस्था । (4) व्ही.आई.पी. के सम्पूर्ण रूट प्लान में समन्वय । (5) स्टेज का प्रबंधन एवं समन्वय । (6) स्टेज पर बैठने वाले व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना (7) एंकर की व्यवस्था । (8) म.प्र.गान एवं सांस्कृतिक समूह के आयोजन की व्यवस्था का समन्वय । (9) कार्यक्रम स्थल के ले-आउट को तैयार कराने में समन्वय । (10) मंच पर बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सीयों का आरक्षण । (11) अन्य समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं का समन्वय । (12) मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम। (13) व्ही.आई.पी. से मिलने वाले डेलीगेशन की सूची बनाना एवं उनकी व्यवस्था ।</p>	<p>संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अपर जिला दण्डाधिकारी,</p>
4.	<p>मंच प्रबंधन (मंच का निर्माण)- (1) डोम, टेंट, विछात, कुर्सी, सोफा इत्यादि की व्यवस्था (2) निर्धारित ले-आउट अनुसार सम्पूर्ण बैठक व्यवस्था । (3) मंच पर व्ही.आई.पी. कुर्सीयां, सोफा, आडियम की व्यवस्था । (4) मंच का बेकड्राप, साईड पेनल, मंच के सामने के हिस्से में लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पोस्टर / होर्डिंग / फ्लेक्स इत्यादि अनुमोदन के पश्चात लगाये जाना । (5) मंच की सम्पूर्ण साज सज्जा । (6) मंच पर पीने के पानी की व्यवस्था (गरिमा अनुसार) (7) उपस्थित जनसमुदाय के लिये पेयजल आपूर्ति एवं आवश्यक टायलेट की व्यवस्था ।</p>	<p>संबंधित विभाग एवं स्थानीय मुख्य कार्य.अधि. जनपद पंचा. / मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत</p>
5.	<p>वाहन एवं वास बल्ली की व्यवस्था</p>	<p>वनमण्डलाधिकारी</p>
6.	<p>मंच पर दीप प्रज्ज्वलन हेतु समई की व्यवस्था । (1) आवश्यकतानुसार मूर्ति अथवा तस्वीर की व्यवस्था । (2) उचित टेबल तथा पूजा की समस्त प्रकार की सामग्री की व्यवस्था । (3) म.प्र.गान अथवा स्वागत गान की व्यवस्था ।</p>	<p>जिला शिक्षा अधिकारी</p>
7.	<p>मंच के दोनो ओर तथा सामने की ओर समूचित फ्लावर डेकोरेशन तथा शोभादार गमलों की व्यवस्था ।</p>	<p>सहायक संचालक उद्यान</p>
8.	<p>(1) मंच के सामने एवं आवश्यकतानुसार स्थलों पर रागोली का निर्माण । (2) कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित महिलाओं की व्यवस्था हेतु बालेन्टीयर्स की नियुक्ति ।</p>	<p>जिला कार्यक्रम अधि. महिला एवं बाल विकास विभाग</p>
9.	<p>(1) मंच पर एवं कार्यक्रम स्थल पर समूचित माईक एवं साउंड की व्यवस्था । (2) विद्युत प्रदाय अवरूद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था । (3) कार्यक्रम स्थल पर सम्पूर्ण इलेक्ट्रीफिकेशन एवं अन्य आवश्यक</p>	<p>कार्य.यंत्री लो.नि. वि. (ई एंड एम) एवं संभागीय यंत्री म.प्र.वि.मं.</p>

